Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 283 of 2022

(Sikandra P.S. Case No.- 150/2019)

Date of Judgement : -13-05-2026

State of Bihar through informant Bablu Ravidas Vs. Karan Kumar

बिहार राज्य द्वारा सूचक बब्लू रविदास

बनाम

1. **करण कुमार,** उम्र 27 वर्ष, पिता–सौदागर रविदास,

निवासी ग्राम–रान्हन, थाना–सिकंदरा, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 366, 376, 341, 342, 504 के अंतर्गत,

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक,**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार पासवान, विद्वान अधिवक्ता,**

दिनांक :–13.05.2026

निर्णय

1. कांड के सूचक बब्लू रविदास के द्वारा थानाध्यक्ष, सिकंदरा थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर सिकंदरा थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–150/2019 के रूप में भा0द0वि 366, 504 सभी सपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–10/2020, भा0द0वि 366, 504 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप काण्ड दैनिकी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस मामले में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड के सूचक बब्लू रविदास पे0 गुहन रविदास द्वारा थानाध्यक्ष, थाना सिकंदरा को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–17.05.2019 को करीब 7 बजे सुबह में निमंत्रण से घर वापस आया तो घर में उसकी पत्नी शर्मिला देवी एवं उसका लड़का अमन कुमार उर्फ भिखारी घर पर नहीं था। उसने सोचा कि कही अगल बगल में गई होगी, किंतु 12 बजे तक घर नहीं आने पर वह इधर उधर काफी खोजबीन किया किंतु कहीं पता नहीं चला, तब वह मोबाईल के माध्यम से सभी जगह छानबीन किया किंतु पता नही चल सका। वह आज तक आस लगाये बैठा रहा कि अब आएगी, तब आएगी। दिनांक–21.05.2019 को करीब सुबह 9 बजे करण कुमार ने मोबाईल नं0–7488294174 से फोन किया कि शर्मिला देवी एवं अमन कुमार को वह लेकर भाग गया है तथा दोनों उसके साथ है। वह शर्मिला देवी से शादी करेगा, अमन कुमार को दे देगा एवं शर्मिला देवी, जो रूपया लेकर आयी है वह भी वापस कर देगा। इतने में वह करण कुमार के घर गया तो उसके पिता सौदागर रविदास एवं उसकी मां उषा देवी से बोला तो उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी को नहीं देंगे और गाली गलौज करने लगे। वह अपने समाज के सहयोग से तहकीकात करते रहा लेकिन अभी तक उन लोगों

ने उसकी पत्नी को वापस नहीं किया है।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2022 को भा0द0वि0 की धारा भा0द0वि 366, 376, 341, 342, 504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 3 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. विजय रविदास, 2. बब्लू रविदास (सूचिका), एवं 3. शर्मिला देवी है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजय रविदास** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना आज से 5 साल पूर्व समय करीब 7 बजे की है। वह अपनी नानी के घर निमंत्रण में गया था। उसके साथ उसकी मां सुमा देवी, पिता गोहन रविदास, बबलू रविदास थे। निमंत्रण से वे लोग घर लौटे थे, साथ में उसका भाई बबलू भी घर लौटा था। जब वे घर आये तो शर्मिली देवी और शर्मिली देवी का बेटा अमन कुमार घर पर नहीं थे। उन लोग ने गॉव खोज–बीन किया, नहीं मिले तो वे लोग सिकंदरा थाना गये और थाना में केस किया। करण कुमार ने फोन किया और बोला कि वह शर्मिली देवी से शादी करेगा और उसके बेटे को लौटा देगो तथा शादी करने के बाद पैसा वापस कर देगा। 10 दिन के बाद शर्मिला देवी एवं अमन कुमार लौटे। वे लोग करण कुमार के घर में थे। 10 दिन करण के साथ शर्मिला थी तथा करण ने उसके साथ बलात्कार किया। शर्मिला का कोर्ट में बयान और मेडिकल हुआ। उसके बाद घर गई, शर्मिला उसके घर नहीं गई थी। **वह अपने पति करण के साथ गई थी।** आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त करण कुमार को पहचानता हूँ। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि **हॉ, उसने घटना को अपनी ऑखों से नहीं देखा था किन्तु घर आने पर घटना की जानकारी उसे हुई थी।** उसे जो भी जानकारी है उसे उसकी पत्नी से प्राप्त हुई थी। जिस फोन से उसे सूचना मिली थी, उसका नम्बर उसे याद नहीं है। उसने उस नम्बर की सूचना पुलिस को दी होगी। उस मोबाईल को पुलिस ने जप्त नहीं

किया था। मेडिकल जॉच से पता चला था कि बलात्कार हुआ था इसलिए उसने अपनी गवाही में बलात्कार कहा है। ऐसी बात नहीं है कि उसने झूठी गवाही दी है।

7. अभियोजन साक्षी संख्या 2 बब्लू रविदास ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना आज से 5 साल पूर्व समय करीब सुबह 8.00 बजे की है। वह उस समय पंजाब में था। जब वह पंजाब से घर आया तो उसकी पत्नी शर्मिला देवी घर पर नहीं थी तो थाना जाकर केस किया। यह वही आवेदन है जिस पर उसका हस्ताक्षर है जिसे पहचानता है। इसे प्रदर्श P-1/P.W. 2 अंकित किया जाता है। करण रविदास ने उसकी पत्नी को शादी के नियत से भगाकर ले गया। उसकी पत्नी उसके पास आ गई है। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त करण कुमार को पहचानता हूँ। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि **उसने गांव वाले के बहकावे में आकर यह केस कर दिया है।** उसकी पत्नी शर्मिला देवी अपने मायके चली गई थी। दरोगा जी ने उससे सादा कागज पर हस्ताक्षर कराया था। अभियुक्त करण रविदास गांव का है इसलिए पहचानता हूँ। सुलह आवेदन पर उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 3 शर्मिला देवी, ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह मुकदमा उसके पति ने किया है। यह मुकदमा उसके पति ने उसे भगाकर ले जाने के लिए करण कुमार पर किया है। पुलिस ने दं0प्र0सं0 की धारा 164 का बयान मजिस्ट्रेट साहेब के सामने कराया था। अभियुक्त करण कुमार को पहचानती है। **प्रति परीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय वह वयस्क थी और शादीशुदा थी। वह अपने पति से नाराज होकर मायके गयी थी, शंका के आधार पर मुकदमा हो गया था।

9. अब इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 366, 376, 341, 342, 504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

10. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी सं0–1 ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसने घटना को अपनी ऑखों से नहीं देखा था। उसे घटना की जानकारी अपनी पत्नी से हुई थी। जिस फोन से उसे सूचना मिली थी, उसका नम्बर उसे याद नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 जो कथित कांड का सूचक है, ने कथन किया है कि **उसने गांव वाले के बहकावे में आकर यह केस**

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 283 of 2022

(Sikandra P.S. Case No.- 150/2019)

Date of Judgement : -13-05-2026

State of Bihar through informant Bablu Ravidas Vs. Karan Kumar

किया था। उसकी पत्नी शर्मिला देवी अपने मायके चली गई थी। दरोगा जी ने उससे सादा कागज पर हस्ताक्षर कराया था। अभियुक्त करण रविदास गांव का है इसलिए पहचानता हूँ। अभियोजन साक्षी संख्या 3, जो कथित कांड की पीडिता है, ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घ ाटना के समय वह वयस्क थी और शादीशुदा थी। **वह अपने पति से नाराज होकर मायके गयी थी, शंका के आधार पर मुकदमा हो गया था।** इन साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा भा0द0वि 366, 376, 341, 342, 504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त **कारण कुमार** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा भा0द0वि 366, 376, 341, 342, 504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–13.05.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–13.05.2026